

रैयत द्वारा इस प्रविष्टि के साक्ष्य के रूप में कागजात उपस्थापित नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त परिस्थिति में विभिन्न राजस्व विभागीय परिपत्रों के आलोक में यह संदिग्ध जमाबंदी का मामला प्रतीत होता है।


अतः संबंधित रैयत को दिनांक 30.08.2016 को 11:00 बज पूर्वाहन सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।



अचल अधिकारी

9.01.2021  
30/08/2016


अभिलेख उपस्थापित किया गया, पूर्व में निर्गत नोटिस के आलोक में अन्यत्र खड़िया वगैरे की ओर से कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः दुबारा नोटिस निर्गत करें।  
अभिलेख दिनांक 20-01-21 को रखा।

  
अचल अधिकारी  
करदग

20.01.2021-

अभिलेख उपस्थापित किया गया अन्यत्र खड़िया वगैरे की ओर से ललित धार भूमिका कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः पंजाब के पेज नं. 01/59/5 में दर्ज भूमि को अवैध जमाबंदी मानते हुए रद्द किया जाता है।

  
अचल अधिकारी  
करदग